Regarding issues of sugarcane growers in Uttar Pradesh

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक **(**मुजफ़्फ़रनगर**) :** धन्यवाद सभापति जी । मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार के संज्ञान में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लाना चाहता हूं ।

मान्यवर, केन्द्रीय गन्ना क्रय अधिनियम के अनुसार गन्ना किसान अपने गन्ने की आपूर्ति चीनी मिलों को करते हैं । गन्ना उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल है और इसके साथ-साथ किसानों की सारी अर्थव्यवस्था- बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्च उस पर टिके हुए हैं । हमारी राज्य सरकार एक सलाह मूल्य घोषित करती है, जिसके आधार पर चीनी मिलें गन्ना किसानों को मूल्य का भुगतान किया करती हैं । दुर्भाग्य यह है कि अक्टूबर में चीनी मिलें चलीं और आज दिसम्बर का अंतिम पड़ाव है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान को यह नहीं पता है कि वह अपना गन्ना किस भाव पर बेच रहा है । अभी राज्य सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया गया है । आप ही की केबिनेट के एक साथी ने कहा था कि 400 रुपये के पार गन्ना मूल्य होगा । परंतु उसका भी पता नहीं है कि वह कहां है और कैसे हो रहा है? मेरा सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार से वह अनुरोध करे, आग्रह करे या निर्देशित करे, जैसे भी करे, लेकिन गन्ना मूल्य 400 रुपये के पार घोषित कराने की कृपा करें। इसके अलावा किसानों के साथ जो ज्यादती होती है, जब वह गन्ना मूल्य मांगता है तो उन्हें पकड़कर बंद कर दिया जाता है । ऐसी जेल में डाला जाता है कि मिलाई ही बंद कर देते हैं । इस पर भी अंकुश लगाने का काम करें । धन्यवाद ।